बिहार सरकार
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

कार्यालय आदेश

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक–83 दिनांक–09.01.2026 के आलोक में बिहार सरकार के सात निश्चय–3 के सातवें निश्चय ''सबका सम्मान–जीवन आसान'' (Ease of Living) के तहत युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग में सप्ताह के दो कार्यदिवसों (सोमवार एवं शुक्रवार) को आमलोगों की शिकायतों को सुनकर उनका त्वरित निराकरण किया जाना है।

2. निर्धारित दोनों कार्यदिवसों को सचिव आमलोगों से अपने कार्यालय कक्ष में मिलेंगे। यदि सचिव किसी अपरिहार्य कारणवश कार्यालय में उपस्थित नहीं रहते हैं तो उनके स्थान पर श्री सुनिल कुमार–I, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण आम लोगों से मिलेंगे। यदि निदेशक भी अपरिहार्य कारणवश कार्यालय में उपस्थिति नहीं रहते हैं तो उनके स्थान पर श्री शंकर दयाल, उप सचिव आम लोगों से मिलेंगे।

3. आगन्तुकों/शिकायतकर्ताओं के लिए बैठने की व्यवस्था, पेयजल आदि सुविधाओं को निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के लेखा शाखा द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

4. आगन्तुकों से प्राप्त शिकायतों की पंजी का संधारण एवं शिकायतों के सतत् अनुश्रवण की व्यवस्था स्थापना शाखा द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

5. आमलोगों से मिलने का कार्यक्रम दिनांक–19.01.2026 (सोमवार) से लागू होगा।

16/1/26

सचिव
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–54 दिनांक–16/01/26

प्रतिलिपिः–युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. श्रीमति प्रियेश नंदनी, आई0टी0 मैनेजर, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं इस कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार करने हेतु प्रेषित।

16/1/26

सचिव
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग,
बिहार, पटना।